तत्काल/अत्यावश्यक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

कमांक/बी–6/नियमन/2012/322/938 भोपाल,दिनांकः 4/01/2014

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..........................

विषय :— मॉर्डन राईस मिल को धान से बासमती चावल के प्रसंस्करण या अन्य अधिसूचित कृषि जिन्स पर राज्य शासन की अधिसूचना के अनुक्रम में प्रसंस्करणकर्ता को प्रदत्त मंडी फीस से छूट बावत्।

उपरोक्त विषय संदर्भ में दिनांक 13.12.2013 को सम्पन्न बैठक में हुई चर्चा का स्मरण करें। आपके संज्ञान में यह जानकारी है कि राज्य शासन की खाद्य प्रसंस्करण नीति तथा उद्योग संवर्धन नीति के अनुकम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में मंडी बोर्ड के द्वारा पात्रता अनुसार प्रसंस्करणकर्ताओं को मंडी फीस से सशर्त छूट प्रदान की गयी है । इस संदर्भ में शासन की अधिसूचना एवं बोर्ड के निर्देशो की शब्दशः पूर्ति करने का दायित्व सचिव मंडी समिति का है एवं इस के सतत पर्यवेक्षण का दायित्व संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय का है ।

अतः आपके आंचल की मंडी समितियो में स्थापित ऐसे समस्त प्रसंस्करणकर्ताओं जिन्हे उपरोक्तानुसार मंडी फीस से छूट प्राप्त हुई है, के द्वारा मंडी समिति को मंडी फीस से छूट हेतू प्रदाय जानकारी, अभिलेखो, पाक्षिक विवरणी एवं वार्षिक विवरणी आदि के आधार पर लेखो का दिनॉक 31/12/2013 की स्थिति में विशेष अडिट दिनॉक 31/01/2014 तक अवश्यक रूप से पूर्ण कराये जिसमें विशेष रूप से यह परिक्षण भी कराया जाये कि संस्थान को निर्धारित शर्तो के अधीन एवं निर्धारित सीमा तक ही मंडी फीस से छूट प्राप्त हुई हो / हो रही है। इस के लिये उन समस्त मंडीयो से सत्यापित जानकारी भी प्राप्त की जाये जिन के कार्य क्षेत्र से संस्थान के द्वारा मंडी फीस से छूट प्राप्ति की अवधि में अधिसूचित कृषि जिन्स का कय किया गया है या मंडी फीस से छूट प्राप्त की गई है।

विशेष ऑडिट में पाई गई स्थिति अनुसार सभी संबंधितों को तत्काल सूचित कर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही समय सीमा निर्धारित कर सुनिश्चित करायी जाये।

मंडी फीस से छूट प्राप्त प्रसंस्करणकर्ताओं के संदर्भ में विशेष ऑडिट की उपरोक्त उल्लेखित प्रकिया नियमित होगी अर्थात यह प्रत्येक तीन माह में या संस्थान की छूट की सीमा/समयावधि पूर्ण होने, जो भी पहले हो, पर करवाई जायेंगी ।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2012/322/939 भोपाल,दिनांक: 4/01/2014

1– निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल